



₹ 1767 - I/03

निगरानी क्र० 145-I/9

सुरजकुमार पिता रणकचौह
निवासी ग्राम सेमल्या तहसील बदनावर
जिला धार

-- प्रार्थी

विरुद्ध

- १- मठाराम पिता कतीराम जाट
निवासी ग्राम सेमल्या तह० बदनावर
जिला धार
- २- दयाबाई पति मन्सारामजी पुरीखित
निवासी ठाकुराला जिला पाली (राज०)
- ३- पद्मबाई पति पीराजी, निवासी सदर
- ४- कौशल्या पति किशोरीलाल, नि० सदर
- ५- चन्दकलाबाई पति चम्पालालजी
निवासी पुराज जिला पाली (राजस्थान)
- ६- पुष्पाबाई पति विनोदकुमार, नि० सदर -- प्रतिप्रार्थिगण



24/1/59
24/1/59
24/1/59

निगरानी धारा ५९ मध्यप्रदेश राजस्व संहिता १९५६ के अन्तर्गत

प्रार्थी अत्यन्त विनम्रतापूर्वक श्रीमान अफसर आशुक्रत, इन्वॉल्वर सम्मान, इन्वॉल्वर द्वारा दिनांक २-३-६९ को निगरानी प्र० क्रमांक १६५।६६८३-६४ में पारित आदेश जिसके द्वारा अफसर कलेक्टर धार द्वारा अपील क्र० ५०।६६-६७ में पारित आदेश दिनांकित १८-६-६६ को अपास्त किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी धार के आदेश दिनांकित १-२-६६ को कायम रखा के विरुद्ध यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है -

15-9-2015

उमय पत्र की ओर से कोई उपस्थिति नहीं
शर प्रमाण वर्ष 2003 से प्रचलित है। आवेदक की
ओर से अभिभाषक दिनांक 30.3.2010 का
उपस्थित हुये, उसके पश्चात् 5 वर्ष से भी
आर्थिक प्रमाण व्यतीत होने के उद्योग कोई उपस्थित
नहीं हुआ है। अतः आवेदक के प्रमाण के शिवांग
में कसौ नहीं होने से समाप्त किया जाता है।

[Signature]

[Signature]